प्रेस विज्ञप्ति

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग–8 लखनऊ के पत्र संख्या– 2559/नौ–8–2019–53ज/2018 टी.सी. दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 के क्रम में पं0 दीनदयाल उपाध्याय, आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में वित्तीय वर्ष 2019–20 में नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी को चयनित किया गया है। शासनादेश संख्या– 777/नौ–8–2018–53ज/ 2017 टीसी दिनांक 21 मार्च, 2018 एवं शासनादेश संख्या– 47/9–8–2019–53ज/2017, दिनांक 05 जनवरी 2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं अधिकतम जन उपयोगी अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत कार्यों को सम्मिलित कर आवश्यतानुसार एक समन्वित कार्ययोजना/डी0पी0आर0 तैयार किये जाने हेतु **एक अनुभवी आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर, जिसे सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए कम से कम 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो, से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।** आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पारदर्शी तरीके से किया जायेगा। केवल उन्हीं आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा, जो निम्न योग्यताऐं पूरी करते हों :–

1– आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर के पास विधिक अर्हता, तथा Council of Architecture में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।

2– बहुआयामी परियोजनाओं (सरकारी/गैर सरकारी) में कार्य करने का 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

3– आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर को पैन धारक होना अनिवार्य है।

4– मुख्य आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर को निकाय के बुलाये जाने पर स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।

5– चयनित निकाय में कार्यालय का अधिष्ठापन करना अनिवार्य होगा।

6– चयनित आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर द्वारा कार्ययोजना/डी0पी0आर0 तैयार करने एवं परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान कार्यों की गुणवत्ता का सतत अनुश्रवण किया जायेगा एवं कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य के गुणवत्ता पूर्ण होने का प्रमाण पत्र भी जिलाधिकारी महोदय चित्रकूट को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके लिये परियोजना मूल्य का अधिकतम 2 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जायेगा, जो परियोजना मूल्य में सम्मिलित रहेगा।

7– आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर को उक्त योजना में किये गये कार्यों का भुगतान नियमानुसार देय धनराशि से आयकर व जी0एस0टी0 की कटौती करके किया जायेगा।

अतएव जनपद चित्रकूट की नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी में उपरोक्त कार्य हेतु **इच्छुक आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर को जिलाधिकारी, चित्रकूट कार्यालय में दिनांक 26.11.2019 को सायंकाल 05.00 बजे तक अपना प्रस्ताव/आवेदन रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना होगा। साथ ही साथ बंद लिफाफे के ऊपर आर्कीटेक्ट/टाउन प्लानर बड़े अक्षरों में लिखना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जायेगा। चयन सम्बन्धी सूचना पृथक से ई–मेल/ डाक के माध्यम से दी जायेगी। अधिक जानकारी हेतु जनपद की वेबसाइट www.chitrakoot.nic.in पर भी अवलोकन किया जा सकता है।**

(गणेश प्रसाद सिंह)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),
चित्रकूट।

कार्यालय जिलाधिकारी चित्रकूट।

संख्या 704 /21–स्था0नि0सहा0/2019–20, दिनांक नवम्बर 08 ,2019

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, कलेक्ट्रेट, चित्रकूट।

3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, चित्रकूट।

4– अधिशाषी अभियंता, लो0नि0 विभाग, प्रा0ख0, चित्रकूट।

5– अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम कर्वी।

6– जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट को उक्त प्रेस विज्ञप्ति की प्रति इस निर्देश के साथ संलग्नकर प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त प्रेस विज्ञप्ति को दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्रों क्रमशः दैनिक जागरण, दैनिक हिन्दुस्तान एवं दैनिक पायनियर के लखनऊ, झाँसी एवं कानपुर के संस्करणों में शासकीय दर पर प्रकाशित करायें तथा प्रकाशित समाचार पत्रों की एक–एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भी उपलब्ध करावें तथा उक्त प्रेस विज्ञप्ति का बिल भुगतान हेतु सम्बन्धित नगर निकाय को प्रेषित करें।

7– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चित्रकूट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

08.11.19
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),
चित्रकूट।